# ग्रामीण विकास युवा संस्थान, दौसा
## (प्रोफाईल)

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | संस्था का नाम | : | ग्रामीण विकास युवा संस्थान |
| 2. | पंजीकृत कार्यालय | : | मधुवन विहार कालोनी, सैथल रोड , दौसा जिला दौसा, (राज.) पि.न. 303303 |
| 3. | फोन नम्बर | : | 01427--220533 |
| | मोबाईल नं. | : | 7891005588, 9928539261 |
| 4. | पेन कार्ड नं. | : | AAATG4483H |
| | NGO Partnership System | : | RJ/2017/0116887 |
| | 12 AA रजिस्ट्रेशन संख्या | : | 2231 दिनांक 23.03.2011 |
| | 80 G के तहत् पंजीकरण | : | 53 दिनांक 12 अप्रैल 2011 |
| | FCRA रजिस्ट्रेशन संख्या | : | 125720006 दिनांक 05 दिसम्बर 2012 |
| 5. | ई–मेल पता | : | gvys @ rediff mail . com |
| 6. | संस्था के बैंक का नाम | : | स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर |
| | शाखा | | जिलाधीश कार्यालय परिसर दौसा, जिला दौसा |
| | खाता संख्या | : | 51063437222 |
| 7. | संस्था का रजिस्ट्रेशन नं0 | : | 47 / दौसा / 1996–97 |
| 8. | रजिस्ट्रेशन का दिनांक | : | 12 अगस्त, 1996 |
| 9. | संस्था के नाम में संशोधन | : | 11 नवम्बर, 2002 |
| 10. | संस्था का कार्यक्षेत्र | : | सम्पूर्ण राजस्थान राज्य |
| 11. | मुख्य कार्यकारी का नाम | : | प्रभूनारायण मीणा |
| | पद | : | सचिव |
| | पता | : | ग्राम चौरडी पोस्ट काबलेश्वर तह. दौसा जिला दौसा (राज.) पि.न.303507 |

12. संस्था के पास उपलब्ध स्टॉफ का विवरण :

| क्र. सं. | | महिला | पुरुष | कुल |
|---|---|---|---|---|
| 1. | पूर्ण कालीक | 02 | 20 | 22 |
| 2. | अंश कालिक | 02 | 01 | 03 |
| | कुल | 04 | 21 | 25 |

13. संस्था का निर्माण क्यों ?

विश्व का विशाल लोकतात्रिक देश भारत विभिन्न संस्कृतियों, कलाओं और भाषाओं को देश हैं अलग–अलग धर्मो को मानने वाले लोग यहां निवास करते हैं असके बावजूद कश्मीर से कन्याकुमारी तक यह देश एक है। अनेकता में एकता का ऐसा अनूठा उदाहरण अन्यत्र देखने को नही मिलता। अनेकता में एकता इस देश की जीवन इंकित है। देश की आत्मा गावों में निवास करती है। इसलिए देश की तरक्की के लिए गांव वासियों का विशेष तौर से महिलाओं के विकास की आवश्यकता है। देश में गांवों की स्थिति आज भी जस की तस हैं। जिसमें राजस्थान राज्य के गांवों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। राजस्थान का भू–भाग अधिकतम मरूस्थलीय और पर्वतीय होने की वजह से यहां कृषि भूमी की कमी हैं और पानी की कमी के कारण खेत भी ज्यादातर वर्षा पर ही निर्भर रहती है।

जिसमें भी प्राकृतिक आपदाओं की मार रहती है यहां पर भी अंधविश्वासी , रूढीवादिता एंव पौराणिक परम्पराओं की वजह से शिक्षा का अभाव है। जिसके कारण यहां के व्यक्ति खेती पशुपालन एवं मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करते है। अशिक्षा गरीबी के कारण भंयकर बिमारियों के शिकार होने के बावजूद भी स्वच्छ जल, स्वच्छ खाना नही खा सकते है ओर नाही अपना समय पर ईलाज करा सकते है। यहा का किसान प्रतिदिन 8 से 12 घन्टे काम करने के उपरान्त भी आर्थिक समस्यों से जूझ रहा हैं यहां पर स्त्री–पुरूष में समानता नही है। संस्थान का निर्माण पिछले दशक में पडे लगातार अकालों की वजह से इस क्षेत्र की गरीब बैरोजगारी क्षारीय फ्लोराईड युक्त पेयजल महिलाओं पर लगातार बढता काम का बोझ एवं बाल रोगों में लगातार वृद्वि, बढ रहा लगातार प्रदूषण, निरक्षता , आपसी भेदभाव , बजंर भूमी विकास आदि महत्वपूर्ण समस्याओं की वजह से हुआ । ऐसी परिस्थिति में स्वंय सेवी संस्थाओं का होना आवश्यक हो गया था। क्योकि सरकार ही सब कुछ नही कर सकती विकास के लिए जन सहभागीता का होना अतिआवश्यक हैं। और सरकार जन भागीदारी नही जुटा सकती है। और ना ही अपनी योजनाओं को आम जनता तक पहुचां सकती है। भारत सरकार की विभिन्न विकास योजनाऐं भी गरीबी विरोधी लडाई में विशेष असरदार नही बन रही है। ऐसी परिस्थिति में जन भागीदारी से सामाजिक समग्रता के लिए कार्य प्रारम्भ हुआ कर्म करने में विश्वास रखने वाले लोग हमारी प्रेरणा रहेगें। और खुशहाल भविष्य हमारा ध्येय रहेगा। अपने हाथों मेहनत के द्वारा ही भला हो संकता है ओर मेहनत के बदले में हमें वह सब प्राप्त होगा जो हमे चाहिएं विभिन्न प्रकार की राहत योजनायें जो लक्ष्य प्राप्त करने का माध्यम ही बन सकती है। हमें एक कर्मयोगी की तरह निरन्तर प्रयास करने की प्रवृति अपनानी होगी । इस हेतु जो पुरूषार्थ चाहिए जो हमें सब में है। इसलिए संस्था का विकास किया गया ।

14. **संस्थान का वैद्यानिक स्वरूप** :– ग्रामीण विकास युवा संस्थान एक स्वंय सेवी संस्था है। जिसकी स्थापना 28 मार्च , 1994 में हुयी और पंजीकरण 12 अगस्त,1996 को राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 की धारा 28 के तहत कराया गया । संस्थान का पूर्व में नाम ग्राम विकास समिति और पंजीकृत कार्यालय ग्राम चौरडी जिला दौसा में था लेकिन 11 नवम्बर 2002 को संस्था के नाम में संशोधन कर ग्रामीण विकास युवा संस्थान और पंजीकृत कार्यालय ग्राम सैथल जिला दौसा में और प्रशासनिक कार्यालय जिला मुख्यालय दौसा में रखा गया संस्था का संचालन 11 सदस्यों की प्रबंध समिति द्वारा किया जाता है।

15. **संस्थान के उद्देश्य** :–

1. जल, जंगल, जमीन सरंक्षण हेतु कार्य करना ।
2. कृषि एंव पशुपालन विकास संबंधी कार्य करना ।
3. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाओं हेतु कार्य करना ।
4. शिक्षा एवं साक्षरता दर बढाने हेतु कार्य करना ।
5. सामाजिक कुरूतियों को दूर करने हेतु कार्य करना ।
6. स्वंय सहायता समूहों के माध्यम से लघु उद्योग स्थापित कर स्व–रोजगार के जरीये आत्म निर्भर करना ।
7. महिला बाल विकास संबंधी कार्य करना ।
8. स्वच्छ जल एवं स्वच्छ जीवन हेतु कार्य करना ।
9. अनु.जाति एवं अनु.जनजाति , अन्य पिछडा वर्ग ,अल्प संख्यक के विकास हेतु कार्य करना ।
10. विकलांग एवं बेसहारा व्यक्तियों के कल्याण हेतु कार्य करना ।
11. गरीबी उन्मूलन बेरोजगारी एवं आत्म निर्भर बनाने हेतु कार्य करना ।

12. प्राकृतिक आपदा निवारण एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों हेतु कार्य करना ।
13. व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं तकनिकी शिक्षा देने हेतु कार्य करना ।
14. सूचना प्रोधोगिक विकास हेतु कार्य करना ।
15. जैविक खाद एवं उन्नत बीज प्रणाली हेतु कार्य करना ।
16. ग्रामीण विकास संबंधी कार्य करना जैस सडक निर्माण, आवास निर्माण, भवन, पानी, टंकी बांध एनिकट निर्माण जलाशय निर्माण में कार्य करना धर्मशाला, पुस्तकालयों का निर्माण करना।
17. कलां एवं सांस्कृतिक विकास हेतु कार्य करना ।
18. पुरातत्व खंडरों के विकास हेतु कार्य करना ।
19. प्राकृतिक संसाधनों के विकास हेतु कार्य करना ।
20. खेलकूद विकास सांस्कृतिक कार्यक्रमों का विकास एवं युवा विकास कार्यक्रमों का संचालन ।
21. अनाथ, विधवा, बाल शोषण, बेसहारा वृद्व जनों के लिए आश्रमों का संचालन करना ।
22. शोध, सर्वे, सर्वेक्षण, मोनिटरिंग ओर नेटवर्किंग हेतु कार्य करना ।
23. एड्स, मलेरियां, डेगू, चिकनगुनियां, ट्यूबर क्लोसिस, कैन्सर जैसी गंभीर बिमारियों के प्रति जागरूकता एवं रोकथाम के उपाय करना ।
24. बन्धुआं एवं बाल श्रमिक मुक्ति कार्यक्रमों का संचालन ।
25. प्लेसमैंट ऐजेन्सी के रूप में कार्य करना ।
26. जन कल्याणकारी कार्य करना जैसे मेलों का आयोजन, सार्वजनिक स्थानों की सुरक्षा, सडक सुरक्षा कार्य, शिविरों का आयोजन, रैलियों का आयोजन समुदाय के अधिकारों हेतु सघर्ष, वन्य जीवों की सुरक्षा, राष्ट्रीय एकता एंव सुरक्षा एवं संगठित समाज के निर्माण हेतु कार्य करना ।

16. **संस्था का विजन** :– संस्थान ऐसे संगठित समाज की कल्पना करती है जिसमे हर व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्कताओं की पूर्ति समानता के साथ कर समग्र राष्ट्र निर्माण का कार्य करें ।

17. **संस्था का मिशन** :– समाज में व्याप्त बुराईयों को दूर कर हर व्यक्ति को शिक्षित एवं रोजगार मुखी बनाकर समान अधिकार के साथ संगठित समाज का निर्माण ।

18 **संस्था की भूमिका** :– ग्रामीण विकास युवा संस्थान की भूमिका समाज में प्रेरक मित्र सहयोगी मार्गदर्शक , सेवक एवं प्रशिक्षक के रूप में होगी ।

19. **कार्यक्रमों का आधार** :– संस्था अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राज्य सरकार , भारत सरकार , निजी दान दात्री संस्थाऐं गैर सरकारी संस्थाऐं एवं अन्य संस्थाओं कोई भी दानदाता एवं विदेशी दान दात्री संस्थाओं से दान–अनुदान प्राप्त कर न लाभ न हानी के आधार पर कार्य किया जाता है।

20. **संस्थान का कार्यक्षेत्र** :– संस्थान का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण राजस्थान राज्य है लेकिन वर्तमान में संस्था राज. के पूर्वी जिले दौसा , जयपुर , टोंक , सवाई माधोपुर , करोली , अलवर, बासंवाडा , अजमेर जिलों में कार्य करती है।

21. **कार्यक्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एंव क्षैत्र के पिछडा होने का कारण** :– राज. राज्य का पूर्वी भाग पर्वतीय पहाडी , ढलाननुमा , एवं उबड–खाबड , कहीं पर रेतीली तो कंही पर कठोर मिट्टी पायी जाती है जंहा पर नदी एवं नहारों का अभाव है। जमीन का पानी का स्तर 100 फिट से भी गहरा है। जिसमें भी पर्याप्त पानी नही मिलता है। गर्मियों में यहां का तापमान 45 डिग्री सेल्सयस रहता है। और क्षेत्र में कृषि भूमी का अभाव है। दूसरी और पश्चिम क्षेत्र में रेगिस्तानी इलाका है। जिसमें बालू मिट्टी के टीले बिखरें पडे है। यहां पर भी कृषि भूमी का अभाव है। पूरे प्रदेश में वर्षा की कमी के कारण संसाधनों का अभाव है। पानी की बहुत ज्यादा कमी होने के कारण खेती भी वर्षा पर ही निर्भर करती है। जिसके कारण सामान्यतः एक ही फसल बोई जाती है। जिसमें भी प्राकृतिक आपदाओं की मार रहती है साथ ही यंहा पर अन्ध विश्वास रूढीवादिता एवं पौराणिक परम्पराओं के वजह से भी शिक्षा का अभाव हैं जिस कारण यंहा के लोग खेती , पशुपालन एवं मजदूरी करके ही अपना जीवन यापन करते है। अशिक्षा के कारण गरीबी एवं भंयकर बीमारियों की शिकार होकर प्रतिवर्ष हजारों व्यक्ति कालग्रस्त हो जाते हैं जिसकी कारण लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है स्त्री–पुरूषों में असमानता का होना और मजदूरी हेतु उद्योग धन्धों की कमी के कारण यहां के लोग अन्य प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं प्रदेश में पिछले वर्षो से लगातार अकाल पड रहा है। जिसके कारण गरीबी , बेरोजगारी के साथ पानी में फ्लोराईड के मात्रा भी बढती जा रही है। जिसके कारण गरीबी यहां के व्यक्ति विभिन्न बिमारीयों के शिकारर होते है। और यहां पर सामाजिक कुरूतियों जिनमें बाल विवाह , दहेज प्रथा , नुकता , जाति–पॉति का भेदभाव होने की वजह से भी क्षैत्र की आर्थिक एंव सामाजिक स्थिति कमजोर बनी हुयी है।

22. **लक्ष्य समूह** :– संस्थान अपने कार्य से लाभान्वित करानें के लिए समाज में अनु.जाति अनु.जनजाति पिछडी जाती, अल्पसंख्यक, विधवा, विकंलाग, बेसहारा, मुक्त बंधुवा मजदूर आर्थिक दृष्टि से कमजोर परिवार एंव आपातकालीन विपदाओं से ग्रसित परिवारों में से अन्तिम गरीबी का चयन करती है।

23. **लाभान्वितों के चयन की प्रकिया** :– संस्थान के कार्यकर्ता द्वारा प्रत्येक गांव का पीआरऐ कर वहां की भोगोलिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति का सर्वेक्षण किया जाता है। उसके बाद प्रत्येक गांव में ग्रामीणों के साथ एक निश्चित समय एवं स्थान पर बैठक होती है। जिसमें गांव के सभी लोग भाग लेते है। संस्थान के कार्यकर्ताओं द्वारा ग्रामीणों के समक्ष ग्राम की भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक, स्थिति का नक्शा रखकर ग्रामीणों के साथ गांव के विकास के पहलुओं पर चर्चा करते है। जिसमें ग्रामीणों द्वारा बिना जाति–पॉति लिंग भेद लाभान्वितों का चयन किया जाता है। जिसमें सबसें पहले गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के साथ आर्थिक दृष्टि से पिछडे परिवारों का चयन किया जाता है। जिसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

24. **संस्थान के सहयोगी ऐजेन्सियों का विवरण** :–

1. भारत सरकार/राजस्थान सरकार ।
2. जिला परिषद, दौसा, जयपुर ।
3. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, दौसा
4. उपनिदेशक कृषि एवं पदेन परियोजना निदेशक, आत्मा, दौसा ।
5. महिला अधिकारिता विभाग जयपुर ।
6. राज्य जल संसाधन आयोजना विभाग, जयपुर
7. दौसा बाल श्रमिक परियोजना संस्था, दौसा
8. अल्पसंख्यक मामलात् मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली

25. संस्थान की कार्यकारिणी का विवरण :–

| क्र.स. | नाम /पिता का नाम | पता :– | पद |
|---|---|---|---|
| 1. | परवीन बानो/श्री अब्दुल रहीम | नागौरियान मौहल्ला दौसा | अध्यक्ष |
| 2. | माया देवी महावर/श्री प्रेमचन्द महावर | ग्राम पो. सैथल, तह./जिला दौसा | उपाध्यक्ष |
| 3 | प्रभूनारायण मीणा/श्री गोर्वधन लाल मीणा | ग्रा. चौरडी तह./जिला दौसा | सचिव |
| 4 | सुनिता शर्मा/श्री विजय कुमार शर्मा | ग्राम पा. सिकन्दरा/जिला दौसा | उप–मंत्री |
| 5. | रमेश चन्द मीणा/श्री रामफुल मीणा | ग्रा.बाढ़ छागला तह./जिला दौसा | कोषाध्यक्ष |
| 6. | सन्तोष कंवर/श्री रमेश चन्द राजपुत | मारूति कॉलोनी दौसा, जिला दौसा | सदस्य |
| 7. | निशा शर्मा/श्री विनोद कुमार शर्मा | झालराका बास दौसा, जिला दौसा | सदस्य |

26. संस्थान के पास उपलब्ध संसाधनों का विवरण :–

| संसाधनों का विवरण | नग | अनुमानित राशि |
|---|---|---|
| 1. कार्यालय भवन (किरायें का) | 1 | |
| 2. मोटर साईकिल | 2 | 85800 |
| 3. एक हजार वर्ग गज पट्टा सुदा भूमी | — | 10100 |
| 4. लैपटॉप | 5 | 97500 |
| 5. कम्प्यूटर मय प्रिन्टर | 4 | 87000 |
| 6. डिजिटल कैमरा | 4 | 20500 |
| 7. अलमारी | 4 | 20000 |
| 8. टेबल | 5 | 15000 |
| 9. कुर्सी | 20 | 5742 |
| 10. सिलाई मशीन | 5 | 10000 |
| 11. बाजा , ढोलक सैट | 1 | 7000 |
| 12. माईक सैट | 1 | 5500 |
| 13. फर्श सैट | 2 | 2400 |
| 14. पंखा | 5 | 7500 |
| 15. कूलर | 1 | 2750 |
| 16. बर्तन | 42 | 9650 |
| | कुल राशि | 386442 |

27. संस्थान के पिछले तीन वर्ष की आय व्यय का विवरण :–

| वर्ष | प्राप्त राशि | व्यय की गयी राशि | | |
|---|---|---|---|---|
| 2013–14 | 15872115.00 | 15264848.00 | SurPlus | 607267.00 |
| 2014–15 | 23516077.00 | 23483943.00 | SurPlus | 32134.00 |
| 2015–16 | 23039413.02 | 19980446.08 | SurPlus | 3058966.00 |

28. **संस्थान की भविष्य की कार्य योजना** :– संस्थान वर्तमान में सचालित कार्यक्रमों में सफलता प्राप्त करते हुए निम्न कार्यक्रमों के संचालन की भावी कार्ययोजना तैयार कर रही है। जिसमें आप लोगों का सुझाव मार्गदर्शन , प्रेरणा एवं आर्थिक सहयोग अपेक्षित है।

1. प्राकृतिक आपदा निवारण कार्यक्रम ।
2. मातृ शिशु कल्याण कार्यक्रम ।
3. स्वरोजगार के माध्यम से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम ।
4. जल,जगल,जमीन सरंक्षण हेतु कार्यक्रम ।
5. कृषि एवं पशुपालन विकास कार्यक्रम ।
6. महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम ।
7. घुमक्कड जाति जनजाति विकास कार्यक्रम।
8. एड्स जागरूकता कार्यक्रम ।
9. अनाथ एंव विकलांगों के लिए आश्रमों का संचालन ।
10. व्यवसायिक प्रशिक्षण एवं दक्षता विकास कार्यक्रम ।
11. शोध, सर्वक्षण, नेटवर्किंग, सूचना प्रोंधोगिक विकास कार्यक्रम ।
12. जलग्रहण क्षेत्र विकास एवं प्रबन्धन
13. जल का पुर्नभरण एवं भू–जल रिचार्ज के कार्य
14. साझा वन प्रबन्धन एवं वृक्षारोपण के कार्य
15. ग्रामीण क्षेत्र में सड़क एवं आवास निर्माण कार्य

**उपरोक्त कार्यक्रमों पर आधारित आपका संस्थान प्रगति की ओर प्रयासरत है। आपके द्वारा कियान्वित की जाने वाली योजनाओं में संस्थान का सहयोग लेने के साथ आपका सहयोग सुझाव मार्गदर्शन एवं आर्थिक सहयोग अपेक्षित है।**

सचिव
SECRETARY
ग्रामीण विकास युवा संस्थान
Gramin Vikas Yuva Sansthan
Dausa (Raj.) India

# ग्रामीण विकास युवा संस्थान का संगठनात्मक ढांचा

## 7 सदस्यों की प्रबन्ध समिति